

पश्चिमी घाट पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

प्रलम्ब के लिये:

[पश्चिमी घाट, पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र \(ESA\), गाडगलि समिति, पश्चिमी घाट पारस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल \(WGEEP\), कस्तुरीरंगन समिति](#)

मेन्स के लिये:

[पश्चिमी घाट का महत्त्व, पश्चिमी घाट के समक्ष खतरे](#)

[स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा](#) (उन छह राज्यों में से तीन, जहाँ केंद्र सरकार ने [पश्चिमी घाटों](#) के संरक्षण हेतु [पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों \(ESA\)](#) का प्रस्ताव दिया है) ने विकास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित ESA क्षेत्रों को सीमित करने का अनुरोध किया है।

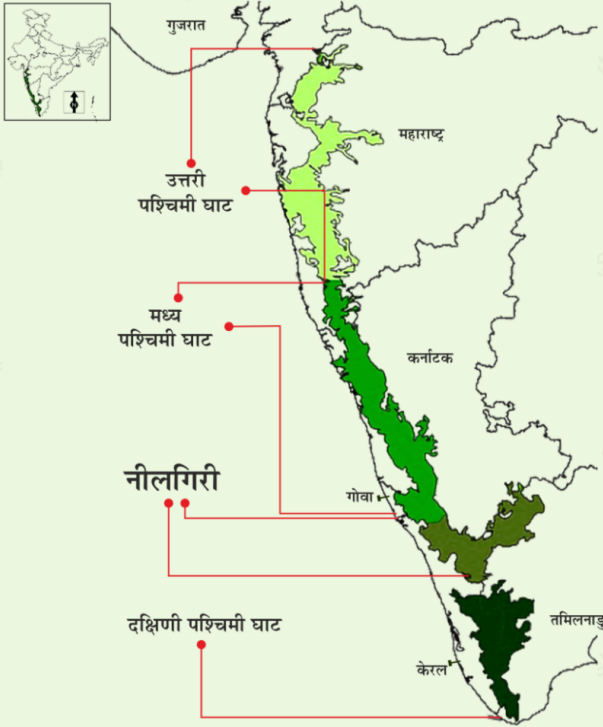
पश्चिमी घाट पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र:

■ परिचय:

- वर्ष 2013 में सरकार ने पश्चिमी घाट की जैवविविधता के संरक्षण हेतु सफारिशें करने के लिये [डॉ. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यसमूह](#) का गठन किया, जिससे इस क्षेत्र के धारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके।
 - इससे पहले [माधव गाडगलि समिति \(2011\)](#) ने भी पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिये अपनी सफारिशें दी थीं।
- इस समिति ने सफारिश की थी कि केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में पहचाने गए प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को ESA घोषित किया जाए।
 - इस समिति द्वारा पश्चिमी घाट के केवल **37% भाग** (जो गाडगलि समिति की रिपोर्ट में सुझाए गए 64% से काफी कम है) को ही ESA के तहत लाने की सफारिश की गई।

पश्चिमी घाट

भारत के चार जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त (2012)



नाम

■ सहाय्री- उत्तरी महाराष्ट्र; सहाय पर्वतम- केरल

पर्वत प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण

- दृष्टिकोण 1: अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनने वाले भ्रंशोत्थ पर्वत
- दृष्टिकोण 2: वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के भ्रंशोत्थ कगार/किनारे

प्रमुख चट्टानें

■ बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, खोंडालाइट, कार्यांतरित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क

भौगोलिक विस्तार

■ सतपुड़ा (उत्तर में) से तमिलनाडु के अंत तक कन्याकुमारी (दक्षिण में)

पर्वत श्रृंखलाएँ

- नीलगिरि पर्वतमाला, शेवारॉय और तिरुमाला श्रृंखला
- सबसे ऊँची चोटी- अनामुडी (केरल)

नदियाँ (उद्गम)

- पश्चिम की ओर बहने वाली: पेरियार, भरतपुझा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी
- पूर्व की ओर बहने वाली: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, काबिनी

स्थानिक प्रजातियाँ

- नीलगिरी तहर (IUCN स्थिति - EN)
- शेर पूँछ मकाक (IUCN स्थिति - EN)

महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

- वायोस्फीयर रिजर्व- अगस्त्यमाला और नीलगिरि
- राष्ट्रीय उद्यान- साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड-मुदुमलाई, नागरहोल
- बाघ अभयारण्य- कलक्कड़-मुंडनथुराई, पेरियार

प्रमुख दर्रे

- थाल घाट दर्रा (कसारा घाट)
- भोर घाट दर्रा
- पलक्कड़ दर्रा (पाल घाट)
- अम्बा घाट दर्रा
- नानेघाट दर्रा
- अम्बोली घाट दर्रा

महत्त्व

- जलविद्युत उत्पादन
- भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है
- कार्बन पृथक्करण (हर साल ~ 4 MT कार्बन को निष्प्रभावी बनाना)
- जैवविविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक (प्रजातियों और स्थानिकता की समृद्धि के कारण)
- लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट अयस्कों, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पाम और रबर से समृद्ध
- सर्वाधिक आदिवासी आबादी (PVTGs सहित)
- महत्त्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थस्थल

प्रमुख खतरे

- खनन, औद्योगीकरण
- वनोपज का बड़े पैमाने पर दोहन
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार
- पशुओं की चराई, वनों की कटाई
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ
- जलवायु परिवर्तन

प्रमुखी समितियाँ

- गाइडिल समिति (2011) (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति)
 - » सिफारिशें: श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में घोषित किया जाना चाहिये।
- कस्तुरीरंगन समिति (2013)
 - » सिफारिश: समूचे क्षेत्र के बजाय, पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए + ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

■ राज्यों की प्रतिक्रिया:

- इसमें शामिल सभी राज्यों द्वारा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचाना गया लेकिन उन्होंने मसौदा अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्रों की अनुमत गतिविधियों एवं सीमाओं के संबंध में अपनी चर्चा व्यक्त की।
- उन्होंने राज्य के विकास कार्यों को सुवर्धन बनाने के क्रम में **ESA को युक्तिसंगत बनाने** का तरक दिया।
- कर्नाटक ने कस्तूरीरंगन पैनाल की रपॉर्ट का वरीष कयल, जसलमें स्थानीय ललगों की आजीवकल पर परतकूल परभावों को माधयम बनाते हुए 20,668 वर्ग कललमीटर क्षेत्र को ESA के रूप में शामिल करने का परस्ताव कयल गया था।
- गोवा ने ESA के रूप में परस्तावतल 1,461 वर्ग कललमीटर क्षेत्र में से 370 वर्ग कललमीटर क्षेत्र को कम करने का अनुरोध कयल।

नोट:

- ऐसे क्षेत्र जहाँ अनूठे जैवकल संसाधन होते हैं और जनलके संरक्षण के लयल वरीष धयान देने की आवश्यकता होती है, **MoEF&CC द्वारा पारस्थलतलकल रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA)** के रूप में अधलसूचतल कयल जाते हैं जसकल उद्देश्य पारस्थलतलकल महत्त्व वाले क्षेत्रों में जैवववधलता की रक्षा करना है।
- इसके अतरलकलत, जैवववधलता के परबंधन और संरक्षण के लयल, **MoEFCC संरक्षतल क्षेत्रों** के समीपवर्ती क्षेत्रों को पर्यावरण की दृषुतल से संवेदनशील क्षेत्र (**Eco-Sensitive Zones- ESZ**) भी नामतल करता है।
 - वर्ष 2002 से, ये क्षेत्र वन्यजीवों के लयल अतरलकलत सुरक्षा परदान करने के लयल बफर की भूमकल नभलई है, जो अत्यधकल संरक्षतल क्षेत्रों को कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में परवर्ततल करने के लयल **"शॉक एब्जॉर्बर"** के रूप में कार्य करते हैं।

ESZ बनाम संरक्षतल क्षेत्र		
वरीषता	संरक्षतल क्षेत्र	पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)
प्राथमकल उद्देश्य	जैवववधलता और पारस्थलतलकल तंतर का पूरण संरक्षण	समीपवर्ती संरक्षतल क्षेत्रों की सुरक्षा के लयल बफर ज़ोन के रूप में कार्य करता है
अवस्थतल	उच्च पारस्थलतलकल मूल्य वाले नरलदषलत क्षेत्र	संरक्षतल क्षेत्रों (राषुटरीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य) के समीप अवस्थतल
सुरक्षा का स्तर	उच्चतम स्तर की सुरक्षा	संरक्षतल क्षेत्र पर परभाव को कम करने के लयल वनलयलमतल गतलवधलतल
वकलसातुमक गतलवधलतल	अत्यधकल परतबलधतल (केवल अनुसंधान, सीमतल मनोरंजन उद्देश्यों हेतु)	ववधल परकार- कुछ नषलदध, कुछ वनलयलमतल, कुछ संवरदधतल (सतत परथाएँ)
आजीवकल	स्थानीय समुदाय का आगमन अमूमन परतबलधतल	परंपरागत परथाओं और सतत आजीवकल के लयल उपयुक्त
आकार	परवर्तनशील, दायरे में वसलतार संभव	प्रायः 10 कमी. के दायरे में सीमतल, संरक्षतल क्षेत्रों की तुलना में छोटे

पश्चिमी घाट पर समतलतलतल की सफलरशलः

- **पश्चिमी घाट पारस्थलतलकल वरीषजुज पैनाल, 2011 (अधयकषः माधव गाडगलल):**
 - पश्चिमी घाट के सभी क्षेत्रों को **ESA घोषतल कयल जाए** तथा शरेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमतल वकलस की अनुमतल दी जाए।
 - पश्चिमी घाटों को **ESA 1, 2 तथा 3** में वर्गीकृत कयल जाए, जसलमें ESA- 1 को उच्च प्राथमकलता दी जाए, जहाँ लगभग सभी वकलसातुमक गतलवधलतल परतबलधतल हों।
 - शासन की परणाली को अधरुध्व (**Top-To-Bottom**) दृषुतलकल के बजाय ऊरुध्वधर (**Bottom-To-Top**) दृषुतलकल (ग्राम सभाओं से) के रूप में नरलदषलत कयल जाए।
 - **पर्यावरण (संरक्षण) अधनलयल, 1986** की धारा 3 के अंतरगत शक्तलतल के साथ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परवर्तन मंतरालय के अधीन एक सांवधलकल प्राधकलरण के रूप में **पश्चिमी घाट पारस्थलतलकल प्राधकलरण (WGEA)** का गठन कयल जाए।
 - रपॉर्ट की आलुचना इस आधार पर की गई यह यथार्थ से परे है और पर्यावरण के परतलअधकल अनुकूल है।
- **कस्तूरीरंगन समतलतल, 2013:** इसमें गाडगलल रपॉर्ट के वपलरलत वकलस और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का परयास कयल गया:
 - पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल **37%** ESA के अंतरगत लाया जाएगा।
 - ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूरण परतबलध।
 - कसी भी ताप वदलतुत परयोजना की अनुमतल नही दी जाएगी और वसलतुत अधययन के बाद ही **जल वदलतुत परयोजनाओं** की अनुमतल दी जाएगी।
 - लाल उद्योग यानी जो अत्यधकल प्रदूषण करते हैं, उन पर सखती से परतबलध लगाया जाएगा।
 - ESA के दायरे से बसे हुए क्षेत्रों और बागानों को बाहर रखा जाएगा, जससे यह **कसलनों के पक्ष में होगा।**

पारस्थलतलकल-संवेदनशील क्षेत्र घोषतल करने की प्रमुख चतलएँ कयल हैं?

